



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

फैक्स : 0522-2288655

संख्या : 735/अनु-1/स्थायीकरण/अ०अ०(वि०एवंया०)2016

दिनांक : 16/12/2016

कार्यालय ज्ञापन

अधोनामित अवर अभियन्ता (वि० एवं या०) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से एतद्वारा स्थायी घोषित किया जाता है :-

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	स्थायीकरण की तिथि
1	पंकज	8665	01/04/2008
2	शर्मानन्द	8834	01/04/2008
3	सरताज अली चौधरी	9802	01/04/2011

उपरोक्त अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण के आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किये जाते हैं :-

1. कि उनका चरित्र एवं पूर्ववृत्त जॉच पड़ताल के उपरान्त संतोषजनक पाया गया हो और सक्षम अधिकारी द्वारा उनके स्थायीकरण के पूर्व शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया जा चुका हो।
2. कि उनके विरुद्ध स्थायीकरण की तिथि से पूर्व कोई अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता जॉच/अभियोजित/पुलिस कार्यवाही/प्रत्यापित उनके अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) की पदीय स्थिति में लम्बित न रही हो।

सत्यानन्द दीक्षित
मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या : 735/अनु०-1/तददिनांक 16.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, उ०प्र० पाकालि, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को कानपुर।
3. निदेशक (का०प्रशा०), उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पाकालि को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित विचाराधीन अवर अभियन्ताओं की वांछित गोपनीय चरित्र पंजिकाएँ इस कार्यालय को तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. शिविर सहायक मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पाकालि।
6. कार्यालय अधीक्षक-2/3/4।
7. कट फाइल/वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

(बसन्त राम)

वैयक्तिक सहायक-पंचम
कृते मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)